क्रम-संख्या–143

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बुधवार, 21 अगस्त, 2024

श्रावण 30, 1946 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 1674 / वि0स0 / संसदीय / 62(सं)-2024

लखनऊ, 29 जुलाई, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) विधेयक, 2024 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 29 जुलाई, 2024 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) विधेयक, 2024

लोक प्रयोजनार्थ नजूल संपत्तियों के आरक्षण का उपबंध करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

चूँकि लोक प्रयोजनार्थ नजूल भूमियों के आरक्षण के संबंध में समान रूप से उपबंध करना और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करना लोकहित में समीचीन है;

और, चूँकि, नजूल भूमि से अन्तवर्लित मुकदमें, जिससे विविध दावे हो रहे हैं; के बाहुल्य से निपटने के लिये, ऐसी नजूल भूमि में राज्य सरकार के हितों की संरक्षा हेतु एक विधान लाना समीचीन हो गया है।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

अध्याय–एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए होगा।

(3) यह दिनांक 7 मार्च, 2024 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें

2–जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस अधिनियम में, –

(क) ''नजूल'' का तात्पर्य,–

(एक) कोई भी भूमि या भवन या भवन के साथ भूमि जो सरकार द्वारा अनुरक्षित सार्वजनिक अभिलेख के आधार पर सरकार की संपत्ति है; या

(दो) नगरों अथवा ग्रामों में या उनके निकट स्थित ऐसी समस्त संपत्तियां, भूमि या भवन जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 296 के अनुसार राज्य सरकार में निहित हैं; या

(तीन) भूमि और/भवनों के ऐसे सभी टुकड़े जिनके संबंध में तत्कालीन सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के अधीन या तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के किसी कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा अनुदान निष्पादित किया गया था; या

(चार) भूमि का कोई भी टुकड़ा जो निजी भूमि नहीं है और जिसके संबंध में किसी भी विधि के लिखत के अधीन पट्टे, लाइसेंस या अधिभोग के अधिकार दिए गए हैं, जैसा कि सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित करें किन्तु इसमें वह संपत्ति सम्मिलित नहीं होगी जो राजस्व परिषद या वन विभाग या सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित है, अथवा जो केन्द्रं सरकार के रक्षा, डाक, टेलीग्राफ, रेलवे या किसी भी विभाग के नियंत्रणाधीन है।

(ख) ''नजूल रजिस्टर'' का तात्पर्य ऐसे रजिस्टर से है, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और ऐसी रीति से अनुरक्षित किया जा सकता है, जोकि विहित किया जाये।

(ग) ''सार्वजनिक इकाई'' का तात्पर्य केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग, अभिकरण या केंद्र या राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले किसी अन्य परिकरण से है और इसमें कोई अन्यत गैर सरकारी लोक सेवा संस्थायें, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सहायता या समान प्रकृति की ऐसी अन्य संस्थाओं के क्षेत्र में सेवा प्रदान कर रहे हों, भी सम्मिलित होंगी जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाये।

(घ) ''निजी इकाई'' का तात्पर्य ऐसी संस्था से है, जो सार्वजनिक इकाई नहीं है।

अध्याय–दो

निजी व्यक्ति या इकाई के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व का प्रतिषेध

3–(1) किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के विपरीत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी सरकारी आदेश के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश में स्थित नजूल भूमि को इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् निजी व्यक्ति या निजी इकाई के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व में संपरिवर्तित नहीं किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित सरकारी अनुदान अथवा नजूल भूमि से सम्बन्धित किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और ऐसी किसी विधि का, इसकी व्यावृत्ति सहित या व्यावृत्ति रहित, निरसन होते हुये भी, अथवा साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् उत्तर प्रदेश में स्थित नजूल भूमि को निजी व्यक्ति या निजी इकाई के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व में संपरिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(3) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या विपरीत आदेश, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी सरकारी आदेश के होते हुये भी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व नजूल भूमि को पूर्ण स्वामित्व के रूप में संपरिवर्तन किये जाने हेतु किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष लम्बित समस्त कार्यवाहियां या आवेदन व्यपगत हो जाएंगे और अस्वीकृत हो जायेंगे और यथासाध्य नियत दिनांक के छह माह के भीतर, इस सम्बन्ध में कोई धनराशि यदि जमा की गई है, तो ऐसे जमा किये जाने के दिनांक से उसे भारतीय स्टेट बैंक की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फन्ड्स बेस्ड लेंडिग रेट (एम0 सी0 एल0 आर0) की ब्याज दर पर आगणित करते हुए धनराशि वापस कर दी जायेगी।

(4) एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति का एतद्पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय नजूल भूमि पर कोई अधिकार नहीं होगा।

(5) किसी भी प्राधिकारी और/अथवा न्यायालय के समक्ष किसी भी स्तर पर लंबित समस्त दावों को इसके अधीन उपबंधित के अनुसार व्यवहृत किया जाएगा।

(6) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् नजूल भूमि का अनुदान केवल सार्वजनिक इकाइयों को सम्यक प्रक्रिया के पश्चात् और ऐसी नीतियों और नियमों, जैसा समय–समय पर विहित किया जाये, के अनुसार किया जाएगा।

(7) सरकार नजूल भूमि के उन पट्टाधारकों का पट्टा चालू रख सकती है जिनका पट्टा अभी भी चालू है और जो नियमित रूप से पट्टा किराया जमा कर रहे हैं और पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है, ऐसी शर्तों पर जैसा कि सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये या ऐसे पट्टों को अवधारित किया जाये ।

(8) लीज अवधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसी भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर स्वतः राज्य सरकार में निहित हो जाएगी और ऐसी भूमि पर राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रवेश माना जाएगा।

(9) जहां पट्टा अवधि समाप्त होने पर तत्कालीन पट्टेदार नजूल भूमि का कब्जा अभ्यर्पण नहीं करता है वहां सरकार को भौतिक कब्जा वापस लेने का प्राधिकार होगा और पट्टे की समाप्ति के दिनांक से दोबारा भौतिक कब्जा वापस लेने के दिनांक तक भूमि का किराया जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियत दर के अनुसार अवधारित किया जायेगा और भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

(10) पट्टे के पर्यवसान होने और राज्य सरकार द्वारा दोबारा कब्जा लेने पर पट्टाधारक को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंध के अनुसार ऐसे पट्टाधारक द्वारा की गयी उपरिसंरचना या बनाये गये भवन के लिये प्रतिकर दिया जायेगा।

(11) समस्त विद्यमान नजूल भूमि पट्टा धारकों से अपनी नजूल भूमि और भवन के विवरण और पट्टा की शर्तों के अनुरूप नजूल भूमि और भवन की उपयोगिता के विवरण को नियत दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जायेगी। उपरोक्त अपेक्षाओं के किसी भी अनुपालन का समस्त विद्यमान नजूल भूमि पट्टों के अग्रतर विचारणों के संबंध में सरकार के कार्रवाई करते समय प्रतिकूल कारक होगा।

सरकार समस्त विद्यमान पट्टों का सावधिक सर्वेक्षण करायेगी और जहां पट्टा समाप्त नहीं हुआ है परन्तु पट्टाधारक, पट्टाधृत भूमि का पूर्ण या अंशतः उपयोग पट्टा की शर्तों के अनुसार नहीं कर रहा है या ऐसी भूमि का उपयोग पट्टा की शर्तों के उल्लंघन में किया जा रहा है तो राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर या तो पट्टा अवधि को कम करके, पट्टा क्षेत्रफल को कम करके या दोनों के द्वारा या पूर्वोक्त के अनुसार कुल मिलाकर पट्टे का पर्यवसान कर पट्टा को उपांतरित कर सकती है :

परंतु यह कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी सिफारिश भेजने से पूर्व पट्टाधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा :

परन्तु यह और कि पूर्वोक्त के अनुसार की गयी कार्रवाईयों के संबंध में खण्ड (10) के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(12) ऐसे सभी मामलों में जहां पूर्ण स्वामित्व विलेख पहले से ही निष्पादित हो गया है और यह पता चलता है कि ऐसा पूर्ण स्वामित्व विलेख कपट करके या तथ्यात्मक सूचनाओं को छुपाकर निष्पादित किया गया था जिसका ऐसा पूर्ण स्वामित्व स्वीकृत करने के सरकार के विनिश्चय पर प्रभाव पड़ा था तो सरकार को ऐसे पूर्णस्वामित्व विलेख को निरस्त करने और भूमि और भवन को पुनः कब्जा करने की शक्ति होगी :

परन्तु यह कि पूर्ण स्वामित्व विलेख को निरस्त करने से पहले ऐसा व्यक्ति, जिसके पक्ष में ऐसा पूर्ण स्वामित्व् विलेख निष्पादित किया गया हो, को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार सुना जायेगा और जिला मजिस्ट्रेट निरस्तीकरण के संबंध में कारण देते हुये आदेश पारित करेगाः

परन्तु यह और कि जिला मजिस्ट्रेट के विनिश्चय से व्यथित किसी पक्षकार को जिला मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के दिनांक से 30 दिन की अवधि के भीतर सरकार के समक्ष अपील दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी जिसकी सुनवाई प्रमुख सचिव (आवास) द्वारा की जायेगी।

(13) नजूल रजिस्टर में यथाविहित रीति के अलावा कोई भी नामांतरण नहीं किया जायेगा।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का पुनर्वास

4—इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय नजूल भूमि या भवन का अधिभोग करते रहे हों, को पुनर्वास देने के लिये व्यवस्था करने से सरकार को नहीं रोकेगी।

कतिपय मामलों में छूट प्रदान करने के लिये सरकार की शक्ति

5—(1) इस अधिनियम की धारा 3 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी सरकार आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों को विहित कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों से छूट प्राप्त करने के लिये अर्हित होंगी।

(2) आपवादिक प्रकृति के विशेष परिस्थिति को प्रदर्शित करने वाले किसी आवेदन पर सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है तथापि यह ध्यान रखा जायेगा कि आवेदन कपट द्वारा दूषित नहीं है, तथ्यों और इसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों को छुपाया नहीं गया है।

नियम बनाने की शक्ति

6—सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिये अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

निरसन और व्यावृत्ति

7—(1) उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) अध्यादेश, 2024 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2024

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

————————

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये व्यापक सार्वजनिक महत्व के विभिन्न प्रकार के विकासात्मक क्रियाकलापों के कारण भूमि की निरंतर और तुरन्त आवश्यकता है जिसे ऐसे विकासात्मक क्रियाकलापों में इसके उपयोग के लिए संबंधित पणधारियों को उपलब्ध कराया जा सके। सरकार को इन विकासात्मपक क्रियाकलापों में इसके उपयोग के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए, भूमि अर्जन का आश्रय लेना होगा, जिसमें भारी व्यय उपगत होगा तथा प्रक्रियात्मक विलम्ब का सामना करना पड़ेगा।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के पास भूमि के ऐसे टुकड़े हैं, जिन्हें नजूल भूमि कहा जाता है, जिन्हें तत्कालीन सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 और पश्चात्वर्ती सरकारी अनुदान (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1960 के अधीन अथवा अन्यथा विभिन्न निजी व्यक्तियों और निजी इकाइयों को अनुदान स्वरूप पट्टे पर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार भी समय–समय पर ऐसी नजूल भूमि को पूर्ण स्वामित्व के रूप में घोषित करने की नीति लेकर आती रही है। इन नीतियों के कारण बाहुल्यपूर्ण दावे हुए हैं और यह भूमि बैंक के इस वर्ग के लिए बोझ बन गया है। उपर्युक्तानुसार भूमि की आवश्यकता के दृष्टिगत इसमें अन्तर्वलित लोकहित को ध्यान में रखते हुये इन नीतियों को जारी रखना तथा लोक हित के पूर्णस्वामित्व में संपरिवर्तन की अनुज्ञा देना अब उत्तर प्रदेश राज्य के हित में नहीं है। वास्तव में, यदि सरकार अपनी नजूल भूमि पुनः प्राप्त कर लेती है, तो इसके परिणामस्वरूप भूमि अर्जन विधियों के अधीन भूमि अर्जन की आवश्यकता के बिना ही सरकार के लिए भूमि उपलब्ध हो जाएगी।

संसद द्वारा निरसन और संशोधन (द्वितीय) अधिनियम, 2017 के माध्यम से सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 को निरसित किये जाने के पश्चात् उत्तर प्रदेश सरकार ने नजूल भूमि के प्रबंधन और निस्तारण के संबंध में सभी नीतियों को निलंबित कर दिया है। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्वतर नीतियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें पूर्णस्वामित्व का विकल्प प्रदान किया गया था, नजूल भूमि को पूर्णस्वामित्व के रूप में संपरिवर्तित करने की मांग को लेकर न्यायालयों के समक्ष भारी मात्रा में मुकदमें लंबित हैं, जो एक जटिल प्रश्न बन गया है, जिसके परिणामस्वरूप इन भूमियों में निहित राज्य सरकार के हितों को लेकर अनिश्चितताएं उत्पन्न हो गई हैं। अतएव, विद्यमान स्थिति के दृष्टिगत एक ऐसे विधान की आवश्यकता है, जो राज्य सरकार के हितों को पर्याप्त रूप से पूर्ण करे तथा जिससे नजूल भूमि को सरकार द्वारा विकासात्मतक क्रियाकलापों हेतु सार्वजनिक उपयोग के लिए पुनः प्राप्त किया जा सके, जो अन्यथा, भूमि के अभाव में बाधित हो रही हैं।

व्यापक जनहित के अन्तर्वलित होने के दृष्टिगत राज्य सरकार को नजूल भूमि को संरक्षित करते हुए इन भूमियों को निजी व्यक्तियों/संस्थाओं के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व के रूप में घोषित करने के बजाय इसका उपयोग केवल सार्वजनिक उपयोगिता के लिए करना चाहिए, क्योंकि व्यापक जनहित, निजी व्यक्तियों/संस्थाओं को लाभ पहुंचाने से अधिक महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त के दृष्टिगत नजूल भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में अनिश्चितताओं को समाप्त किये जाने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्रवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 07 मार्च, 2024 को उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) अध्यादेश, 2024 प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक, पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

———————

उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) अध्यादेश, 2024 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन–पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अंतर्ग्रस्त हैं।

उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) अध्यादेश, 2024 में किये जाने वाले विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का विवरण निम्न प्रकार हैः–

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
3(7)	इसके द्वारा राज्य सरकार को पट्टाधारकों का पट्टा चालू रखने के सम्बन्ध में समय–समय पर शर्तों को विहित किये जाने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
3(12)	इसके द्वारा राज्य सरकार को इसी प्रक्रिया विहित किये जाने की शक्ति प्रदान की जा रही है, जिसके अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्ण स्वामित्व विलेख को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया जा सकता है।
5(1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को इस अधिनियम की धारा 3 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी सरकार आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों को विहित करने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
6	इसके द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की जा रही है।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2024) के उपबन्धों से उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) विधेयक, 2024 में किये गये रूपभेदों का ज्ञापन।

उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2024) संख्या–86/79–वी–1–2024 –2–क–4–2024 दिनांक 07 मार्च, 2024 के उपबन्धों को उसी रूप में कतिपय संशोधनों के साथ सम्मिलित किया गया है। विधेयक में किये जाने वाले रूपभेदों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

1. उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 5 के अध्याय–एक की धारा 2 की उपधारा (क) (एक) में भूमि सहित भवन जोड़ा गया है तथा (एक) से (तीन) तक के वाक्यों के अन्त में 'या' शब्द जोड़ा गया है।
2. उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 5 के अध्याय–एक की धारा 2 की उपधारा (ग) के अन्त में 'और इसमें कोई अन्य गैर सरकारी लोक सेवा संस्थायें, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सहायता या समान प्रकृति की ऐसी अन्य संस्थाओं के क्षेत्र में सेवा प्रदान कर रहे हों, भी सम्मिलित होंगी जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाये' जोड़ा गया है।
3. उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 5 के अध्याय–दो की धारा 3 की उपधारा (3) में 'यथासाध्य नियत दिनांक के छह माह के भीतर' जोड़ा गया है।
4. उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 5 के अध्याय–दो की धारा 3 की उपधारा (7) में वाक्य के शुरूआत में 'सरकार', 'ऐसे' के स्थान पर 'उन', 'पट्टाधारक' के स्थान पर 'पट्टाधारकों का पट्टा चालू रख सकती है' नियमित शब्द से पूर्व 'जो' एवं 'वे पट्टेदार बने रहेंगे' के स्थान पर 'ऐसी शर्तों पर जैसा कि सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये या ऐसे पट्टों को अवधारित किया जाये' जोड़ा गया है।
5. उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 5 के अध्याय–दो की धारा 3 की उपधारा (9) में प्रस्तर के शुरूआत में 'यदि.. ...भूमि का किराया' के स्थान पर 'जहाँ पट्टा अवधि समाप्त् होने पर तत्कालीन पट्टेदार नजूल भूमि का कब्जा अभ्यर्पण नहीं करता है वहॉ सरकार को भौतिक कब्जा वापस लेने का प्राधिकार होगा और पट्टे की समाप्ति के दिनांक से दोबारा भौतिक कब्जा 'वापस लेने के दिनांक तक भूमि का किराया' जोड़ा गया है।
6. उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 5 के अध्याय–दो की धारा 3 की उपधारा (10) में पूर्व प्राविधान के स्थान पर 'पट्टे के पर्यवसान होने और राज्य सरकार द्वारा दोबारा कब्जा लेने पर पट्टाधारक को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंध के अनुसार ऐसे पट्टाधारक द्वारा की गयी उपरिसंरचना या बनाये गये भवन के लिये प्रतिकर दिया जायेगा'।
7. उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 5 के अध्याय–दो की धारा 3 की उपधारा (11) की व्यवस्था उपधारा (13) में प्राविधानित किया गया है।
8. उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 5 के अध्याय–दो की धारा 3 की उपधारा (11) में पूर्व प्राविधान के स्थान पर समस्त विद्यमान नजूल भूमि पट्टा धारकों से अपनी नजूल भूमि और भवन के विवरण और पट्टा की शर्तों के अनुरूप नजूल भूमि और भवन की उपयोगिता के विवरण को नियत दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जायेगी। उपरोक्त अपेक्षाओं के किसी भी अननुपालन का समस्त विद्यमान नजूल भूमि पट्टों के अग्रतर विचारणों के संबंध में सरकार के कार्रवाई करते समय प्रतिकूल कारक होगा।

   सरकार समस्त विद्यमान पट्टों का सावधिक सर्वेक्षण करायेगी और जहां पट्टा समाप्त नहीं हुआ है परन्तु पट्टाधारक, पट्टाधृत भूमि का पूर्ण या अंशतः उपयोग पट्टा की शर्तों के अनुसार नहीं कर रहा है या ऐसी भूमि का उपयोग पट्टा की शर्तों के उल्लंघन में किया जा रहा है तो राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर या तो पट्टा अवधि को कम करे, पट्टा क्षेत्रफल को कम करके या दोनों के द्वारा या पूर्वोक्त के अनुसार कुल मिलाकर पट्टे का पर्यवसान कर पट्टा को उपांतरित कर सकती हैः

   परन्तु यह कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी सिफारिश भेजने से पूर्व पट्टाधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगाः

   परन्तु यह और कि पूर्वोक्त के अनुसार की गयी कार्रवाईयों के संबंध में खण्ड (10) के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

9. उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 5 के अध्याय–दो की धारा 3 की उपधारा (12) को जोड़ते हुए निम्न प्राविधान किये गये हैः–

'ऐसे सभी मामलों में जहां पूर्ण स्वामित्व विलेख पहले से ही निष्पादित हो गया है और यह पता चलता है कि ऐसा पूर्ण स्वामित्व विलेख कपट करके या तथ्यात्मक सूचनाओं को छुपाकर निष्पादित किया गया था जिसका ऐसा पूर्ण स्वामित्व स्वीकृत करने के सरकार के विनिश्चय पर प्रभाव पड़ा था तो सरकार को ऐसे पूर्णस्वामित्व विलेख को निरस्त करने और भूमि और भवन को पुनः कब्जा करने की शक्ति होगीः

परन्तु यह कि पूर्ण स्वामित्व विलेख को निरस्त करने से पहले ऐसा व्यक्ति, जिसके पक्ष में ऐसा पूर्ण स्वामित्व विलेख निष्पादित किया गया हो, को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार सुना जायेगा और जिला मजिस्ट्रेट निरस्तीकरण के संबंध में कारण देते हुये आदेश पारित करेगाः

परन्तु यह और कि जिला मजिस्ट्रेट के विनिश्चय में व्यथित किसी पक्षकार को जिला मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के दिनांक से 30 दिन की अवधि के भीतर सरकार के समक्ष अपील दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी जिसकी सुनवाई प्रमुख सचिव (आवास) द्वारा की जायेगी।'

10. उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 5 के अध्याय–दो में धारा 4 (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का पुनर्वास) को जोड़ते हुए निम्न प्राविधान किये गये हैः–

'इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय नजूल भूमि या भवन का अधिभोग करते रहे हों, को पुनर्वास देने के लिये व्यवस्था करने से सरकार को नहीं रोकेगी।'

11. उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 5 के अध्याय–दो में धारा 5 (कतिपय मामलों में छूट प्रदान करने के लिए सरकार की शक्ति) को जोड़ते हुए निम्न प्राविधान किये गये हैः–

'उपधारा (1) में इस अधिनियम की धारा 3 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी सरकार आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों को विहित कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों से छूट प्राप्त करने के लिये अर्हित होंगी।'

'उपधारा (2) में आपवादिक प्रकृति के विशेष परिस्थिति को दर्शित करने वाले किसी आवेदन पर सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है तथापि यह ध्यान रखा जायेगा कि आवेदन कपट द्वारा दूषित नहीं है, तथ्यों और इसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों को छुपाया नहीं गया है।'

12. उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 5 के अध्याय–दो में धारा 6 (नियम बनाने की शक्ति) को जोड़ते हुए निम्न प्राविधान किये गये हैः–

'सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिये अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।'

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 380/XC-S-1–24-28 S-2024
Dated Lucknow, August 21, 2024

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nazul Sampatti (Lok Prayojanarth Prabandh Aur Upyog) Vidheyak, 2024 introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on July 29, 2024.

THE UTTAR PRADESH NAZUL PROPERTIES (MANAGEMENT AND UTILIZATION FOR PUBLIC PURPOSES) BILL, 2024

A
BILL

to provide for reservation of Nazul properties for public purposes, and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS it is expedient in the public interest to uniformly provide in regard to reservation of Nazul Lands for public purposes, and to provide for matters connected therewith or incidental thereto;

AND, WHEREAS, in order to deal with the multiplicity of litigations involving Nazul Lands, leading to diverse claims, it has become expedient to bring a legislation to protect the interests of the State Government in such Nazul Lands.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER – I
PRELIMINARY

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Nazul Properties (Management and Utilization for Public Purposes) Act, 2024.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force with effect from the 7th day of March, 2024.

Definitions

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or the context, —

a. "Nazul" means,—

(i) any land or building or land with building which is the property of Government on the basis of public records maintained by the Government ; or

(ii) all such properties, land or buildings in or near towns or villages which have been vested with the State Government as per Article 296 of the Constitution of India ; or

(iii) all such parcels of land and/or buildings in respect of which a Grant was executed under the erstwhile Government Grants Act, 1895 or under any executive authority of the erstwhile British Government; or

(iv) any parcel of land that is not private land and in respect of which rights of lease, license or occupancy have been granted under any instrument of law, as the Government may declare by a notification but would not include property which is administered as a State property under the control of the Board of Revenue or the Forest Departmentor the Irrigation Department, or which falls under the control of the Defence, Postal, Telegraph, Railway or any Department of the Central Government.

b. “Nazul Register” means such register that the State Government may maintain for the purposes of this Act and in such manner as may be prescribed;

c. “Public entity” means any Central or State Government department, agency, or other instrumentality fully owned by the Central or State Government and would also include any other non-governmental public service institutions which may be rendering services in the field of education, health, social support or such other institutions of similar character as may be notified by the Government from time to time;

d. "Private entity" means an institution which is not a public entity.

CHAPTER – II

Prohibition of freehold in favour of private person or entity

3. (1) Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court to the contrary or, any other law or any Government order for the time being in force, Nazul lands located in Uttar Pradesh shall not be converted to freehold in favour of private person or private entity after commencement of this Act.

(2) Notwithstanding anything contained in any other law relating to Government Grants or Nazul Lands as defined under this Act and notwithstanding the repeal of any such law, with or without its savings, or anything contained in section 6 of the General Clauses Act, 1897 Nazul lands located in Uttar Pradesh shall not be converted to freehold in favour of private person or private entity after commencement of this Act.

(3) Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court to the contrary or, any other law or any Government Order for the time being in force, all proceedings or applications pending in any Court or before any authority seeking conversion of Nazul Land as freehold prior to commencement of this Act shall lapse and shall stand rejected and money if any deposited in that regard shall be returned with interest rate equivalent to Marginal Cost of fund based lending rate (MCLR) of State Bank of India from the date of such deposit, as far as practicable within six months from the appointed date.

(4) It is hereby declared that no person shall have any right in Nazul Land except as hereinafter provided.

(5) All claims pending at whatever stage before any authority and/or Court shall be dealt with as provided hereunder.

(6) After commencement of this Act, grant of Nazul land shall be done only to public entities after due process and in accordance with such policies and rules as may be prescribed from time to time.

(7) The Government may either continue lease of leaseholders of Nazul land whose lease is still continuing and who have been depositing the lease rent regularly and have not violated any conditions of lease, on such terms as the Government may prescribe from time to time or determine such leases.

(8) After expiry of the lease period such land shall automatically vest in State Government free from all encumbrances and such land shall be deemed to be re-entered upon by the State Government.

(9) The Government shall have the authority to resume physical possession where the erstwhile lessee does not surrender the possession of the Nazul Land on the expiry of the lease and the ground rent from the date of expiry of the lease till the resumption of physical possession shall be determined as per the rate fixed by the District Magistrate and recovered as arrears of land revenue.

(10) On determination of lease and resumption by the State Government, the lessee shall be compensated for the superstructure or the building raised by such lessee according to the provision of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

(11) All existing Nazul Land leaseholders shall be required to provide their details of the Nazul Land and building and the utilization of the Nazul Land and building in conformity of the lease conditions before the District Magistrate within a period of three months from the appointed date. Any non-compliance with the above requirement will be an adverse factor while the Government may act in regard to further considerations of all existing Nazul Land leases.

The Government shall conduct a periodic survey of all existing leases and where lease has not expired but the lessee is not utilizing the leasehold land in whole or part in accordance with conditions of the lease or such land is being used in violation of lease conditions, the State Government, on recommendation of the District Magistrate, may modify the lease by either reducing the lease period, by reducing lease area or both or altogether determining the lease as aforesaid:

Provided that opportunity of hearing shall be provided to the leaseholder by the District Magistrate before sending his recommendation:

Provided further that the provisions of clause (10) shall *mutatis mutandis* apply in respect of actions taken as abovesaid.

(12) In all such cases where Freehold Deed has already been executed and it comes to light that such Freehold Deed was executed by inducing fraud, or suppressing material information which would have had an effect on the decision of the Government to grant such Freehold, the Government shall have the power to cancel such Freehold Deed and resume the land and buildings:

Provided that before cancelling the Freehold Deed, the person in whose favour such Freehold Deed has been executed shall be heard by the District Magistrate in accordance with the procedure prescribed, and the District Magistrate shall pass a speaking order on the issue of cancellation:

Provided further that a party aggrieved by the decision of the District Magistrate shall have the liberty of filing an appeal before the Government within a period of 30 days from the date the decision of the District Magistrate which shall be heard by the Principal Secretary (Housing).

(13) No mutation shall be carried out in Nazul register except in the manner as prescribed.

Rehabilitation of persons belonging to the Economically Weaker Section

4. Nothing contained in this Act shall prevent the Government from making arrangements to rehabilitate persons belonging to the Economically Weaker Section who may have been occupying the Nazul Land or building at the time of commencement of this Act.

Power of the Government to grant exemption in certain cases

5. (1) Notwithstanding anything contained in section 3 of this Act, the Government may prescribe circumstances of exceptional character which may qualify for exemption from the provisions of this Act.

(2) An application showing special circumstances of exceptional character, can be considered by the Government keeping however in mind that the application is not vitiated by fraud, suppression of facts and similar circumstances.

Power to make rules

6. Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

Repeal and Saving

7. (1) The Uttar Pradesh Nazul Properties (Management and Utilization for Public Purpose) Ordinance, 2024 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 5 of 2024

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

———————

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

Due to various kinds of developmental activities of huge public importance that the Government of Uttar Pradesh has undertaken, there is a continuing and urgent requirement of land which can be made available to the concerned stakeholders for its utilization in such developmental activities. For the Government to make the land available for its use in these developmental activities, the recourse is to acquire land, which would entail incurring huge expenditure and facing enormous delays in the process.

The Government of Uttar Pradesh at present has parcels of land, called Nazul Lands, which have been leased out to various private individuals and private entities in the nature of Grants issued under the erstwhile Government Grants Act, 1895 and subsequent Government Grants (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1960 or otherwise. The Government of Uttar Pradesh has also from time to time come out with policy of declaring such Nazul Lands as freehold. These policies have led to multifarious claims and has becomes a drain on this class of land bank. In view of the requirement of land as stated hereinabove, it is no longer in the interest of the State of Uttar Pradesh to continue with these policies and to permit conversion of

these Nazul Lands into freehold, in view of the public interest that is involved. In fact, if the Government re-enters its Nazul lands, it will result in land becoming available for the Government without there being a need for acquiring land under the Land Acquisition Laws.

After the repeal of the Government Grants Act, 1895 by the Parliament by Repealing and Amending (Second) Act, 2017, the Government of Uttar Pradesh has suspended all the policies in relation to the management and disposal of Nazul Lands. However, in view of the earlier policies of the Government of Uttar Pradesh which had provided for an option of freehold, huge amount of litigation is pending before Courts seeking conversion of Nazul Lands as freehold which has become a vexed question resulting in uncertainties with respect to the interest of the State Government involved in these lands. Therefore, in view of such situation existing there is a need for a legislation which would adequately cater to the interests of the State Government so that the Nazul lands can be reclaimed by the Government for public use for developmental activities which otherwise are being hampered for want of land.

In view of huge public interest involved, while preserving Nazul Land, the State Government should use it only for public utility instead of declaring these lands as freehold in favour of private individuals/institutions, because the larger public interest is more important than providing benefits to private individuals/institutions. In view of the above, it was decided to end the uncertainties regarding the use of Nazul Land.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Nazul Properties (Management And Utilization For Public Purposes) Ordinance, 2024 was promulgated by the Governor on 07 March, 2024.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGI ADITYANATH
Mukhya Mantri.

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 211 राजपत्र—2024—(588)—599+25+5=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।